Annexure-B-

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24.10.2011 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत कोकसर (प्रांगण हि. प्र. लो. नि. वि. विश्राम गृह) जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित छतड़ू जल विद्युत परियोजना (120 मैगावाट) बारे आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही ।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला द्वारा दिनांक 24.10. 2011 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत कोक्सर (प्रांगण हि. प्र. लो. नि. वि. विश्राम गृह) जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश में मै0 डी. सी. एम. श्री राम इन्फ्रास्ट्क्चर लिमिटेड शिमला द्वारा प्रस्तावित छतड़ू जल विद्युत परियोजना (120 मैगावाट) हेतू जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.सी.1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) केलांग जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में किया गया । इस जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिनिधियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत करवाया तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित जन समूह को पर्यावरण जन सुनवाई में निसंकोच अपने विचार, सुझाव एवं टिप्पणियां प्रकट करने का आग्रह किया । तत्पश्चात परियोजना प्रबन्धन द्वारा परियोजना के प्रारूप एवं विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में अवगत करवाया गया, साथ ही परियोजना की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लम्बी शीतकालीन अवधि को मध्यनज़र रखते हुए परियोजना की बढ़ी हुई लागत के बारे में चिंता जताते हुए इस परियोजना की लागत की भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट (सी.डी.एम.) के योगदान को

24.X.XI SDM Sub Divisional Officer (C) Lahaul at KEYLONG

अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया क्योंकि कार्बन क्रेडिट (सी.डी.एम.) इस प्रकार की परियोजनाओं में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान दे सकते हैं ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ की गई तथा जन सुनवाई के दौरान विचार प्रकट करते हुए अधिशाषी पर्यावरण अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण के बचाव के लिए उपस्थित जन समूह को एक उचित मंच दिया जा रहा है तथा वे निर्भीक होकर अपने विचार, सन्देह एवं सुझाव रख सकते हैं ।

इस जन सुनवाई में उठाये गए मुद्दों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण
1.	श्री हरजिन्दर सिंह, प्रधान युवक मण्डल कोकसर	1. चूंकि परियोजना बर्फीले क्षेत्र में प्रस्तावित है इस से निकटवर्ती क्षेत्र के ग्लेशिअरों पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?	1. परियोजना प्रबन्धन ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के अधिकतर कम्पोनेटस जमीन के भीतर ही होंगे, केवल Weir/diversion arrangement ही बाहर रहेंगे । इसलिए अधिकतर निर्माण कार्य जमीन के भीतर ही होंगे तथा छोटा शिगड़ी ग्लेशियर परियोजना स्थल से लगभग 20 कि. मी. की दूरी पर है, जिस पर कोई भी दुष्प्रभाव की सम्भावना नहीं लगती।
		2. विंटर स्पोर्टस के लिए	2. इस क्षेत्र में छतड़ू

Sub Divisional Officer (C) Lahaul at KEYLONG

SDM 24-X-XI

		यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है परियोजना प्रबन्धन इसके लिए क्या सहयोग करेगा ?	जल विद्युत परियोजना के अतिरिक्त कई अन्य परियोजनायें भी लगने वाली हैं इसमें सामूहिक स्तर पर जो भी कार्यवाही होगी परियोजना प्रबन्धन उसके अनूरूप कार्य करने के लिए वचनवद्द हैं ।
2.	श्री नवांग बोध गांव सरखन पूर्व प्रधान कोकसर पंचायत	1.परियोजना के निमार्ण से कहीं मछलियों पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? 2.स्थानीय लोगों को रोजगार व ठेकों पर प्राथमिकता मिले तथा परियोजना एवं स्थानीय लोगों में पारस्परिक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बने रहने चाहिए ।	1.परियोजना प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि परियोजना क्षेत्र में मछली की कोई भी प्रजाति नहीं पाई गई है इसके लिए सम्बधित विभाग से इसकी पुष्टी करवाई जा चुकी है । 2.मै0 डी. सी. एम. श्री राम इन्फ्रास्ट्क्चर लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार 70 प्रतिशत रोज़गार योग्यता के अनुसार हिमाचल निवासियों को दिया जाएगा और उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी । प्रत्यक्ष रोज़गार के अलावा परियोजना के निमार्ण चरण के दौरान अप्रत्यक्ष रोज़गार के

SDM
24-X-21
Sub Divisional Officer (C)
Lahaul at KEYLONG

		लिए लगाई जाये ।	सरकार की नीति के अनुसार परियोजना की कुल लागत की 1.5 प्रतिशत राशि एल. ए. डी. सी. के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र के विकास पर खर्च की जाएगी ।
		3. बिजली उत्पादन का 1 प्रतिशत स्थानीय जनता को निशुल्क दिया जाए ।	3.परियोजना प्रबंधन ने बताया कि इस मुद्‌दे पर सरकार की नीति की अनुपालना की जाएगी ।
		4.इस क्षेत्र में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है जिसके लिए पंचायत जमीन उपलब्ध करवायेगी तथा परियोजना प्रबन्धन अस्पताल एवं सम्बधित स्टाफ उपलब्ध करवाये ।	4.परियोजना प्रबन्धन के अनुसार अगर स्थानीय पंचायत जमीन उपलब्ध करवायेगी तो परियोजना चिकित्सालय को कोकसर में स्थापित किया जाएगा जिसमें स्थानीय लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करवाई जाएगी । समय-2 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के शिविर का आयोजन भी किया जाएगा ।
		5. Weir/diversion स्थल पर एवलांच आने की स्थिति में परियोजना	5.परियोजना के विस्तृत अध्ययन के उपरान्त यह पाया गया कि

SDM
24-X-XI
Sub Divisional Officer (C)
Lahaul at KEYLONG

			मापदण्डों की पूर्ण रूपेण अनुपालना की जाएगी । इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशाषी अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि क्रशर सरकार द्वारा पारित नीति के अनुसार लगाया जाएगा जिसमें वायु प्रदूषण रोधक संयत्र लगवाए जाएंगे व उनका समय-2 पर निरीक्षण किया जाएगा ।
3.	श्री ओम प्रकाश प्रधान ग्रांम पंचायत कोकसर	1.कैट प्लान के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में विपरीत जलवायु के कारण पेड़-पौधे लगाना सम्भव नहीं है अत: वांछित पौधरोपण कोकसर पंचायत के अन्य क्षेत्रों में किया जाए ।	1.परियोजना प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि कैट प्लान का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाता है । वन मण्डल अधिकारी केलांग ने कहा कि पौधारोपण क्रियान्वयन में लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त कैचमैन्ट क्षेत्र में विभिन्न औषधीय प्रजातियों जैसे छरमा, सीबक थौर्न एवं भूमि कटाव को रोकने वाली प्रजातियों को रोपित किया जाएगा ।
		2.परियोजना लागत की 1 प्रतिशत धनराशि पंचायत के स्थानीय विकास के	2.स्थानीय क्षेत्र का विकास सरकार की नीति के अनुसार किया जाएगा ।

SDM
24-X-XI

Sub Divisional Officer (C)
Lahaul at KEYLONG

			अवसर भी स्थानीय लोगों को मिलेंगे जैसे कि सड़क के रखरखाव हेतू पानी का छिड़काव, मलवा स्थल में डंगों का काम और छोटी गाड़ियों को किराये पर लेना आदि-आदि । कम्पनी और स्थानीय लोगों में पारस्परिक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में परियोजना प्रबन्धन वचनवद्ध है ।
		3.इस क्षेत्र में विभिन्न औषधीय झाड़ियों की प्रजातियां जैसे कि सरला, पामा और शुष्पा पाई जाती हैं इन्हें परियोजना में कार्यरत मजदूर इंधन के लिए इस्तेमाल न करें क्योंकि ये झाड़ियां भूमि अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ।	प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों के रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था कम्पनी करेगी जिसमें गैस व मिट्टी का तेल कम्पनी द्वारा खुद उपलब्ध करवाया जाएगा । इस प्रकार झाड़ियों को काटने व नुकसान पहूँचाने का कोई अन्देशा नहीं है ।
		4.क्या क्रशर और खनन से वातावरण पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ?	4. परियोजना प्रबन्धन ने आश्वासत किया कि स्टोन क्रशर और खनन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्धारित

		प्रबन्धन ने नुकसान से बचाने के लिए क्या उपाय सुझाये हैं ?	Weir/diversion स्थल पर एवलांच आने की सम्भावना नहीं है जिसके कारण ही उस स्थल विशेष का चयन किया गया है ।
4.	श्री दोरजे पूर्व उप प्रधान कोकसर पंचायत	बिजली उत्पादन का 1 प्रतिशत स्थानीय जनता को निशुल्क दिया जाए ।	इसका स्पष्टीकरण उपर क्रम संख्या 3 के (3) में दे दिया गया है ।
5.	श्री प्रेम लाल गांव शिशु	1.परियोजन के लिए जमीन का चयन अव्यवस्थित ढंग से न किया जाए । 2.परियोजना से छोटा शिगड़ी ग्लेशियर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । 3. प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या पग उठाये जाएंगे ?	1.परियोजन के लिए जमीन का चयन सरकार की नीतियों के अनुरूप, पूर्ण अन्वेषण के उपरान्त ही किया गया है । इसके अतिरिक्त व.म.अ. केलांग ने स्पष्ट किया कि परियोजना के लिए भूमि का चयन वन विभाग द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण कमेटी के अनुमोदन पर ही किया गया है । 2.इसका स्पष्टीकरण उपर क्रम संख्या 1 में उल्लेखित है । -वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सड़कों पर नियमित रूप से पानी का

SDM 24-XI-%1

			छिड़काव किया जाएगा । -स्टोन क्रशर पर आधुनिकतम वायु प्रदूषण रोधी संयत्र लगाए जाएंगे । -जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल-मल शोधन संयत्र लगाये जाएंगे ।
6.	श्री रतन कटोच पूर्व प्रधान कोकसर पंचायत	परियोजना निमार्ण से कोकसर से छतरू के लिए चन्द्रा नदी के दायें किनारे निर्माणाधीन सड़क के काम में कोई बाधा तो नहीं आएगी ।	परियोजना के निमार्ण कार्य से इस सड़क के कामकाज़ पर कोई बाधा नहीं आएगी हमनें लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है ।
7.	श्री सुशील पूर्व उप प्रधान कोकसर पंचायत	परियोजना क्षेत्र बर्फीला होने के कारण यहॉ पर केवल लोगों को 4 महीने तक ही रोजगार मिलेगा, शेष 8 महीने में प्रबन्धन कार्यारत लोगों की किस प्रकार से भरपाई करेगा ।	परियोजना प्रबन्धन ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि परियोजना में कार्यरत लोगों को 4 महीने के बजाय वर्ष भर रोजगार का प्रावधान रहेगा । यह व्यवस्था परियोजना के पूर्ण होने तक यथावत रहेगी ।
8.	श्री सुरेश कुमार प्रधान चन्द्रा वैली स्पोर्टस संगठन	खेलों को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी का क्या योगदान रहेगा ?	परियोजना प्रबन्धन के अनुसार, स्थानीय लोगों में खेलों की रूचि के बारे में पूरी जानकारी नहीं है फिर भी स्थानीय पंचायत की सलाह से समय-2 पर खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

9.	श्रीमति तंजिन डोलमा पूर्व प्रधान	परियोजना प्रबन्धन इस क्षेत्र की बेसहारा एवं विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए क्या पग उठायेगा ?	परियोजना प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि स्थानीय महिला मण्डल एवं पंचायत से विचारविमर्श के उपरान्त उनके कल्याण हेतू आवश्यक पग उठाये जाएंगे ।
10.	श्री अमर चन्द प्रधान टिप्पर ट्क यूनियन कोकसर ।	परियोजना के निमार्ण कार्य में हमारी यूनियन के ही टिप्पर-ट्क लगायें जायें ।	परियोजना प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि परियोजना का कार्य विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किया जाना है जिनके अपने ट्क और टिप्पर हो सकते हैं फिर भी उन ठेकेदारों एवं स्थानीय यूनियन के बीच में तालमेल बिठाने के लिए प्रबन्धन टैन्डर में आवश्यक शर्ते निर्धारित करेगा ताकि स्थानीय ट्क टिप्पर एवं पंचायत को उचित भागीदारी मिल सके ।

SDM 24-X-2011

जन सुनवाई के समापन पूर्व समस्त कार्यवाही के सार को उपस्थित लोगों के समक्ष हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया । तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया । अन्त में जन सुनवाई के समापन के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि परियोजना - जन सुनवाई के बारे में किये गए विस्तृत प्रचार-प्रसार एवं उपस्थित जन समूह की उपस्थिति को मध्यनजर रखते हुए आशा की जाती है कि परियोजना का कार्य प्रशंसनीय रहेगा और

यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-2 इस क्षेत्र के चहूँमुखी विकास में अपना अमूल्य सहयोग देती रहेगी ।

अन्त में कम्पनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कियान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग मॉगा तथा कम्पनी द्वारा क्षेत्र के विकास में यथासम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा उपस्थित जन समूदाय के प्रति आभार व्यक्त किया ।

24·X·2011

उप मण्डल दण्डाधिकारी
Sub Divisional Officer (C)
केलांग जिला लाहौल-स्पिति
(हिमाचल प्रदेश)

Proceedings have been conducted and signed by the Sub-Divisional Magistrate, Keylong. It is also pertinent to mention that there is no post of ADM/ADC existing in the district of Lahaul & Spiti at Keylong and all the functions of AC to D.C., ADM/ADC at Distt. Headquarter are being looked into by the S.D.M. Keylong.

Deputy Commissioner,
Distt. Lahaul & Spiti at Keylong.